रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/92.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 4 नवम्बर, 1992/13 कार्तिक, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 31 अक्तूबर, 1992

संख्या ई० एक्स० एन०-एफ० (18) 4/92.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल क वहन पर) कर अधिनियम, 1991 (1991 का 10) की धारा 7, 11, 12 और 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में तारीख 28-1-1992 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई० एक्स० एन०-एफ० (1)-2/91, तारीख 18-1-1992 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में उक्त अधिसूचना के पैरा 6 के बाद शब्द "संयुक्त" के बाद, चिन्ह और शब्द "/अतिरिक्त" जोड़ा जाएगा।

आदेश द्वारा,
ए० एन० विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

2901-राजपत्र/92-4-11-92—1,411. (3321) मूल्य : 1 रुपया।

Authoritative English text of this department notification No. EXN.-F. (18) 4/92, *dated Shimla-2,* 31-10-1992, *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 31st October, 1992

No. EXN.-F (18) 4/92.—In exercise of the powers conferred by section 7, 11, 12 and 13 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1991 (Act No. 10 of 1991), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in this department notification No. EXN-F (1)-2/91, dated 18-1-1992 published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 28-1-92 with immediate effect, namely :—

AMENDMENT

In clause (*a*) of the explanation after para 6 of the said notification, after the word "Joint", the sign and word "/Additional" shall be inserted.

By order,

A. N. VIDYARTHI,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।